बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के रिक्त 13 (तेरह) पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के पद से सेवानिवृत कर्मियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. संविदा पर नियोजन हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की विविरणी निम्नवत् है :–

क्रमांक	आरक्षण कोटि	पदों की कुल संख्या	महिला के लिए क्षैतिज आरक्षित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	सामान्य	07	02	विकलांगता अधिनियम 1995 के आलोक में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
2	अनुसूचित जाति	02	01	
3	पिछड़ा वर्ग	02	01	
4	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	02	01	
	कुल	13	05	

3. संविदा पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। नियोजन प्रथमतः दो वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–10000 दिनांक–10.07.2015 के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत की जायेगी।

4. नियोजित कर्मियों को अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योग में से पेंशन+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता को घटाने के बाद जो राशि होगी, वही मानदेय के रूप में देय होगा तथा यह राशि कार्यरत अवधि तक स्थिर रहेगी।

5. संविदा के आधार पर नियोजित नियुक्ति को सरकारी सेवक के रूप में मान्यता नहीं होगी और न ही नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य होगा।

6. अनुबंध के आधार पर नियोजित अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति को पुनर्नवीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा, इसके लिए किसी प्रकार का आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।

7. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा निष्पादित किया जायेगा।

8. आवेदन निबंधित डाक के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना, विकास भवन, पटना–15 के पते पर प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. किसी भी समय इस सूचना को बिना कारण बताए रद्द किये जाने का अधिकार विभाग को होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. पदनाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है) :–
2. उम्मीदवार का नाम :–
3. पिता / पति का नाम :–
4. सेवानिवृत्त का विभाग / कार्यालय का नाम :–
5. जन्म तिथि / सेवानिवृति की तिथि :–
6. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को आयु :–
7. शैक्षणिक योग्यता :–
8. स्थायी पता :–
9. पत्राचार का पता :–
10. आरक्षण कोटि :–

नोटः– आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आवासीय प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। साथ ही बजट, स्थापना एवं योजना का कार्यानुभव रखने वाले सहायकों को साक्ष्य संलग्न करना उचित होगा।

(भरत झा)
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

D:\Letter. 2017\All Letter.docx